फाटीखान घाटीबाला पार्ट डी० रेन्जगढ़ी

जयपुर, मार्च १२, १९६८

संख्या एफ. ७ (१९७) रा. क./६७ः—चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	फाटीखान घाटीवाला पार्ट (डी)	१. डूंगपणी २. सांगेला	२९२-०९ एकड़ या ०-४५ वर्गमील या १.१९५०५ किलोमीटर	सीमा रेखा का परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

PC Attested

उप वन संरक्षक बांसवाड़ा (राज.)

परिशिष्ट (अ)

वन-खण्ड फाटीखान घाटी वाला पार्ट (डी), रेन्ज या विस्तार गढ़ी, जिला बांसवाड़ा की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्रम संख्या	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में: जरीब	दूरी जरीब व कड़ियों में: कड़ियाँ	दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार	
१	२	३	४	५	६	७	
						(एप्रोक्सिमेट बीयारिंग्ज डिग्रियों में)	
१	१	२	६	६०	उत्तर-पूर्व-पूर्वीय	७२-००	सीधी रेखा
२	२	३	७	१७	उत्तर-पूर्वीय	५२-००	"
३	३	४	१७	५०	दक्षिण-पूर्व-पूर्वीय	१६२-००	"
४	४	५	२१	२६	दक्षिण-पूर्वीय	१२७-००	"
५	५	६	७	८७	दक्षिणीय	१७१-००	"
६	६	७	१६	१०	पूर्व-पूर्व-पूर्वीय	१०५-००	"
७	७	८	८	६८	उत्तर-पूर्वीय	४५-००	"
८	८	९	१२	१०	पूर्वीय	६४-००	"
९	९	१०	६६	०५	दक्षिण-पश्चिमीय	२२६-००	"

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या   दिनांक   सन्

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा (२९) की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (२९) की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी-या वनखण्ड ब्लॉक	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
बांसवाड़ा	गढ़ी	अजवाना विस्तार गढ़ी	अजवाना	३२२.९६	सीमा रेखा ... ... (अ) ...

PC Attested

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक वन संरक्षक
बांसवाड़ा

रा० मु० उ० ६८०-११-६२-१५,०० फा०

विज्ञप्ति

जयपुर, ...२२ नवम्बर १९५६

२०-०६ F. १५(२) रे-रा-५६

संख्या [illegible] चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं, अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है,

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३, की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट, संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सैटलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथा साध्य, उसी प्रणाली में किया जायगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१) १२, १३, १४, १७, १८, तथा १९ में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार, उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना, अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना, और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

PC Attested

राज्यपाल की आज्ञा से,
S.D. आर. एन. [illegible]
शासन सचिव।

उप वन संरक्षक
बांसवाड़ा (राज.)

प्रथम अनुसूची

सं०	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
१	२	३	४	५	६
१	वजवाना	गढी	बांसवाड़ा	उ:- हद मजकूरा मौजा वजवाना द:- " " " " पू:- " " " नोरवला प:- " " " [illegible]	अन्दाजी रकबा १०० एकड़

नोट:—राजस्थान राजपत्र दिनांक ९-२-५९ के भाग [illegible] के पृष्ठ संख्या ५९ पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु०, जयपुर ५८—५०००-३-५८

[illegible]
१.१०.५९